

पंचायती राज मंत्रालय
मांग संख्या 68
पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | संशोधित 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | |
|---|--------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 208.67 | ... | 208.67 | 768.33 | ... | 768.33 | 675.15 | ... | 675.15 | 790.79 | ... | 790.79 |
| वसूलियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 208.67 | ... | 208.67 | 768.33 | ... | 768.33 | 675.15 | ... | 675.15 | 790.79 | ... | 790.79 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 18.00 | ... | 18.00 | 18.33 | ... | 18.33 | 20.15 | ... | 20.15 | 20.79 | ... | 20.79 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| कार्य अनुसंधान और प्रचार | | | | | | | | | | | | |
| 2. कार्य अनुसंधान | 0.62 | ... | 0.62 | 15.00 | ... | 15.00 | 2.50 | ... | 2.50 | 4.00 | ... | 4.00 |
| 3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान | 0.66 | ... | 0.66 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.10 | ... | 2.10 |
| 4. मीडिया एवं प्रचार | 4.99 | ... | 4.99 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 11.00 | ... | 11.00 |
| जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार | 6.27 | ... | 6.27 | 25.00 | ... | 25.00 | 12.50 | ... | 12.50 | 17.10 | ... | 17.10 |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) | | | | | | | | | | | | |
| 5. पंचायत भवनों में एटीएम सेवाएं | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 |
| 6. क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीवीपीएसए) | 184.40 | ... | 184.40 | 655.00 | ... | 655.00 | 592.95 | ... | 592.95 | 691.90 | ... | 691.90 |
| 7. ई-पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण | ... | ... | ... | 38.00 | ... | 38.00 | 33.00 | ... | 33.00 | 34.00 | ... | 34.00 |
| 8. ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना | ... | ... | ... | 22.00 | ... | 22.00 | 16.55 | ... | 16.55 | 17.00 | ... | 17.00 |
| जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) | 184.40 | ... | 184.40 | 725.00 | ... | 725.00 | 642.50 | ... | 642.50 | 752.90 | ... | 752.90 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 190.67 | ... | 190.67 | 750.00 | ... | 750.00 | 655.00 | ... | 655.00 | 770.00 | ... | 770.00 |
| कुल जोड़ | 208.67 | ... | 208.67 | 768.33 | ... | 768.33 | 675.15 | ... | 675.15 | 790.79 | ... | 790.79 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 190.67 | ... | 190.67 | 675.00 | ... | 675.00 | 589.50 | ... | 589.50 | 693.00 | ... | 693.00 |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 18.00 | ... | 18.00 | 18.33 | ... | 18.33 | 20.15 | ... | 20.15 | 20.79 | ... | 20.79 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | संशोधित 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | |
|-----------------------|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 208.67 | ... | 208.67 | 693.33 | ... | 693.33 | 609.65 | ... | 609.65 | 713.79 | ... | 713.79 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 75.00 | ... | 75.00 | 65.50 | ... | 65.50 | 77.00 | ... | 77.00 |
| जोड़-अन्य | ... | ... | ... | 75.00 | ... | 75.00 | 65.50 | ... | 65.50 | 77.00 | ... | 77.00 |
| कुल जोड़ | 208.67 | ... | 208.67 | 768.33 | ... | 768.33 | 675.15 | ... | 675.15 | 790.79 | ... | 790.79 |

सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के आयोजना, बजटन, कार्यान्वयन, लेखाकरण, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रमाण-पत्र, लाइसेंस आदि जारी करने जैसी सेवाओं की प्रदायगी सहित पंचायतों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए अनुप्रयोगों का एक सुइट तैयार किया गया है।

- सचिवालय:** यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।
- कार्य अनुसंधान:** पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, मुख्य रूप से इसे बेहतर नीति निर्माण के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने, के बारे में कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्रों एवं मूल्यांकन में विशेषीकृत अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** प्रावधान स्थानीय गवर्नेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए है।
- मीडिया एवं प्रचार:** मीडिया और प्रचार का इरादा व्यापक सूचना प्रदान करना तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रचार तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज) के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना है।
- क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबीपीएसए):** क्षमता निर्माण पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबीपीएसए) मूलभूत सेवाएं प्रदान करने और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कनवर्जेंट कार्य के लिए पंचायती राज के क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगा। आरजीएसए के अंतर्गत सभी हितधारकों को जीपीडीपी के पहलुओं पर विशेष जोर देने के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने और इसे बढ़ाने हेतु व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
- ई-पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण:** पंचायती राज मंत्रालय, विशेष प्रयास करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 से पुरस्कारों के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण करता है; पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए मॉडल तैयार करता है। वर्ष 2016-17 से योजनाओं को मामूली संशोधनों के साथ नवीनीकृत किया गया है और इसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का एक भाग/उप योजना बनाने का प्रस्ताव है। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं।
- ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना:** ई-पंचायत के अंतर्गत पंचायतों के आंतरिक आटोमेशन के लिए तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु देश की सभी पंचायतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायगी